**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF FINANCE**
**DEPARTMENT OF REVENUE**

**LOK SABHA**
**UNSTARRED QUESTION No. 1039**
**TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4TH DECEMBER, 2015**
**13, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)**

**SIMPLIFYING INCOME TAX LAWS**

**1039. SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN:**
**SHRI RAMSINH RATHWA:**
**SHRI RAJAN VICHARE:**
**SHRIMATI P.K. SREEMATHI TEACHER:**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government has set up panel to simplify income tax laws and reduce litigation, if so, the details thereof;

(b) whether the panel has submitted its report;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the followup steps taken by the Government to implement the said report?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE**
**(SHRI JAYANT SINHA)**

(a) Yes Madam. A ten member committee headed by Mr. Justice R.V. Easwar has been constituted to simplify income tax laws and reduce litigation. The terms of reference of the Committee are as under:-

(i) To study and identify the provisions/phrases in the Income-tax Act which are leading to litigation due to different interpretations;

(ii) To study and identify the provisions which are impacting the ease of doing business;

(iii) To study and identify the areas and provisions of the Income-tax Act for simplification in the light of the existing jurisprudence;

(iv) To suggest alternatives and modifications to the existing provisions and areas so identified to bring about predictability and certainty in tax laws without substantial impact on the tax base and revenue collection.

(b) & (c) As per the terms of reference, the Committee is required to furnish the first batch of recommendations by 31st January, 2015.

(d) Does not arise in view of reply to part (b) & (c) above.

---

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1039**

**(जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015 / 13 अग्रहायण,1937 (शक) को दिया जाना है)**

**आयकर कानूनों को सरल बनाना**

**1039. श्री ए. अरूणमणिदेवन:**

**श्री राम सिंह राठवा:**

**श्री राजन विचारे:**

**श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर कानूनों को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए पैनल का गठन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)**

(क): जी हां। आयकर कानूनों को सरल बनाने और मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए न्यायमूर्ति आर.वी. ईश्वर की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यी समिति का गठन किया गया है इस समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

(i) आयकर अधिनियमों में ऐसे प्रावधानों/उपबंधों का अध्ययन करना और उनका पता लगाना जिनके कारण अलग-अलग विभिन्न व्याख्या किए जाने के कारण मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है;

(ii) ऐसे प्रावधानों/उपबंधों का अध्ययन करना और उनका पता लगाना जिनके कारण काम काज की सुगमता पर प्रभाव पड़ रहा हो;

(iii) वर्तमान न्यायशास्त्र के मद्दे नजर सरलीकरण के लिए आयकर अधिनियम के क्षेत्रों और प्रावधानों का अध्ययन करना और उनका पता लगाना;

(iv) इस प्रकार पता लगाए गए वर्तमान क्षेत्रों और प्रावधानों के विकल्प और इनमें संशोधनों को सुझाना जिससे कि कर के आधार और राजस्व के संकलन पर कोई खास प्रभाव डाले बिना कर संबंधी कानूनों में पूर्वानुमयता की जा सके और इसमें सुनिश्चिता लाई जा सके।

(ख) तथा (ग): सौंपे गए कार्य के अनुसार समिति को 31 जनवरी, 2015 तक अपनी सिफारिशों

की पहली किश्त प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(घ): उपर्युक्त भाग (ख) एव (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

.....